25.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान मे अटल सेवा केन्द्र कमठाई मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद सुचना के हाजिर नही होने के कारण उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। 25/5/17 **उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी**	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कमठाई)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.96 / 2016

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.भूराराम पुत्र सोनाराम		1.डूंगराराम पुत्र लाधाराम
2. पुरखाराम पुत्र सोनाराम		2.चौखाराम पुत्र लाधाराम
3. केशाराम पुत्र सोनाराम		3.मूलाराम पुत्र खेताराम
जाति मेधवाल		4.पूनमाराम पुत्र खेताराम
निवासी शिवनगर टाकू,कमठाई		5.वंशाराम पुत्र हेमाराम
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।		6.जोराराम पुत्र भारूराम
		7.धर्माराम पुत्र मांगाराम
		8.तेजाराम पुत्र खेताराम जति मेधवाल
		9.रामाराम पुत्र चिमनाराम जाति भील निवासी शिवनगर टाकू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
		10.ग्राम पंचायत बिलासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री दलाराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.. विप्रार्थी स.1 से 10 एकरतफा।

आदेश

दिनांक–25.05.2017

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगर टाकू पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 337 / 20 रकबा 91–15 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम शिवनगर टाकू पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 337/20 रकबा 91–15 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1से 10 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगर टाकू पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 337/20 रकबा 91–15 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगर टाकू पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 337/20 रकबा 91–15 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम शिवनगर टाकू पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 337/20 रकबा 91–15 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थी स.1 से 10 बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी स.1 से 10 को

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम शिवनगर टाकू पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 337/20 रकबा 91–15 बीघा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

25/5/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25/5/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

25/5/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner